R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड II ◆ अंक 12
जून 2006

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

मुर्गीपालन उद्योग को राहत उपायों हेतु दिशानिर्देश

अप्रैल 2006 में रिज़र्व बैंक ने एविएन फ्लू से प्रभावित मुर्गी पालन उद्योग के लिए राहत उपाय संबंधी दिशानिर्देश जारी किये थे। अब रिज़र्व बैंक ने बैंकों को आर्थिक सहायता के क्षेत्र, उसकी गणना और वितरण हेतु अनुदेश जारी किये है। इस संबंध में दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :-

(i) ब्याज आर्थिक सहायता की गणना 31 मार्च 2006 को बकाया कार्यकारी पूंजी ऋणों तथा मीयादी ऋणों पर चार प्रतिशतता अंकों पर की जाएगी। इसमें मूलधन का कोई भी वह भाग सम्मिलित नहीं होगा जो 18 फरवरी 2006 को अर्थात् बर्ड फ्लू के पहली बार होने की अधिसूचना से पहले अतिदेय हो गया था।

(ii) ब्याज आर्थिक सहायता के रुप में राहत हेतु सभी श्रेणियों के उधारकर्ता यथा अलग-अलग व्यक्ति, भागीदार, प्रा.लिमि. कम्पनियाँ, सरकारी लिमि. कंपनियाँ, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियाँ पात्र होंगी।

(iii) ब्याज आर्थिक सहायता में वह सभी स्वीकृत मीयादी ऋण और कार्यकारी पूंजी ऋण सम्मिलित होंगे जो मुर्गी, टर्की, जापानी क्वैल , गिनी फाउल्स, बतख, शुतर्मुर्ग और इमु से संबंधित निम्नलिखित सभी गतिविधियों के लिए स्वीकृत किए गए हों :-

- वाणिज्य लेयर खेती
- वाणिज्य ब्रायलर खेती
- मूल पक्षियों का प्रजनन/खेती, दोनों लेयर और ब्रायलर
- विशुध्द मूल का प्रजनन / खेती, दोनों लेयर और ब्रायलर
- शुध्द वंशक्रम प्रजनन
- बैंकयार्ड मुर्गीपालन सहित न्यून निविष्टि तकनीक पक्षियों की खेती के लिए इकाइयों को दिया गया ऋण
- मुर्गीपालन चूज़ाघर को दिया गया ऋण।
- आहार मिश्रण इकाइयाँ जिन्हें मुर्गीपालन इकाई के लिए संमिश्र के भाग के रुप में ऋण स्वीकृत किया गया है।
- मुर्गीपालन प्रसंस्करण संयंत्र
- बैंकों द्वारा स्वीकृत किसी संमिश्र ऋण के मुर्गीपालन घटक यथा वासभूमि ऋण

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अपने दावे प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया हैं। लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु सभी दावे सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित किए जाएँ तथा प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को 31 जुलाई 2006 से पहले प्रस्तुत किए जाएँ।

रिज़र्व बैंक ने आगे सूचित किया कि राज्य / जिला सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नाबार्ड इसी प्रकार का अनुदेश जारी करेगा और शहरी सहकारी बैंकों के लिए इसी प्रकार के अनुदेश रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना

भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) बिल, 2006 अधिनियमित किया गया है तथा गज़ट में अधिसूचित होने के साथ ही यह लागू हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा 42(1) में संशोधन के फलस्वरूप रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकताओं के संबंध में अनुसूचित बैंकों के लिए बिना किसी

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
मुर्गीपालन उद्योग को राहत उपायों हेतु दिशानिर्देश	1
आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना	1
मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण	2
वाणिज्यिक स्थावर संपदा /उद्यम पूंजी निधियों पर जोखिम भार	2
किसानों को 7% ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण	2
नवोन्मेष टियर I/टियर II बांड - बैंकों द्वारा बचाव-व्यवस्था (हेजिंग)	3
बैंकों को राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) का पालन करने को कहा गया	3
रिपो/प्रत्यवर्तनीय रिपो दर में वृद्धि	3
बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि समायोजन सुविधाएं	3
विदेशी मुद्रा व्यापारियों की नियुक्ति/तैनाती	3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार बनाना	3
ग्राहक सेवा	
नामांकन सुविधा	4

आधार दर या उच्चतम दर के आरक्षित नकदी निधि अनुपात निर्दिष्ट कर सकता है। तदनुसार, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) से संबंधित प्रावधानों में निम्नानुसार कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

अनुसूचित बैंक

आरक्षित नकदी निधि अनुपात दर

भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) बिल, 2006 अधिनियमित होने के आलोक में रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि *प्रणाली* की समग्र समीक्षा करने और एक मध्यावधि योजना बनाने के लिए एक आंतरिक तकनीकी दल गठित किया जाए। इस दल की अनुशंसाओं को लंबित रखते हुए सीआरआर दर और मौजूदा छूटें जो अगले परिवर्तन तक चलती रहेंगी, सहित सीआरआर बनाए रखने के मौजूदा प्रावधानों की स्थिति यथावत् जारी रखी जाए। तदनुसार, अनुसूचित बैंक अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं के 5 प्रतिशत का सीआरआर बनाए रखना जारी रखेंगे। इसके अलावा, इस संशोधन के अनुसरण में 3 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरआर बनाए रखने की न्यूनतम पुरानी सांविधिक अपेक्षा अब नहीं रह गई है।

इस संशोधन के अधिनियमित होने से पूर्व रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42(1) के अनुसार अनुसूचित बैंकों के लिए उनकी कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच आरक्षित नकदी निधि अनुपात निर्दिष्ट कर सकता था। बैंकों को अब से दैनिक आधार पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के रिपोर्टिंग शुक्रवार को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.0 प्रतिशत का न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना जरूरी है बशर्ते उस पखवाड़े के दौरान एनडीटीएल के 5.0 प्रतिशत का औसत बनाए रखा गया हो। विद्यमान में बैंकों को एक पखवाड़े में औसत दैनिक सीआरआर शेष राशियों का न्यूनतम 70 प्रतिशत बनाए रखना होता है।

सीआरआर अधिशेषों पर ब्याज

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42(1ए) में संशोधन के फलस्वरूप 3.0 प्रतिशत का न्यूनतम सांविधिक सीआरआर अब नहीं रह गया है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42(1बी) हटा दी जाने के साथ ही अब रिज़र्व बैंक बैंकों के किसी भी सीआरआर शेषराशियों के किसी भी भाग पर ब्याज नहीं देगा। फलस्वरूप, 24 जून 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से सीआरआर शेष राशियों पर कोई ब्याज नहीं अदा किया जाएगा।

रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों के 3.0 प्रतिशत के न्यूनतम सांविधिक स्तर से ऊपर और 5.0 प्रतिशत तक के निर्दिष्ट स्तर तक के सीआरआर अधिशेषों, जोकि पात्र नकदी शेष कहलाते हैं, पर रिज़र्व बैंक द्वारा तय की गई ब्याज दर पर जोकि 18 सितंबर 2004 को 3.5 प्रतिशत तय की गई थी, ब्याज अदा करता रहा है। अनिवार्यत: रखी जाने वाली शेष राशि से अधिक रखी गई किसी भी राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होता था।

छूट-प्राप्त देयताएं

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 22 जून 2006 से निम्नलिखित देयताओं पर सीआरआर को 5 प्रतिशत पर रखने से छूट प्रदान की गयी है :

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्पष्ट किये गये खंड (घ) के अनुसार गणना की गयी भारत में बैंकिंग प्रणाली की देयताएं।
- एसीयू (अमेरिकी डॉलर) खातों में जमा शेष।
- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के साथ संपार्श्विक उधार और ऋण बाध्यता (सीबीएलओ) में लेनदेन।
- अपतटीय (ऑफ शोर) बैंकिंग इकाई (ओबीयू) के संबंध में मांग और मीयादी देयताएं।

गैर-अनुसूचित बैंकों

आरक्षित नकदी निधि अनुपात दर

गैर-अनुसूचित बैंकों और गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए सीआरआर का नियंत्रण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की क्रमश: धारा 18 और खण्ड 56 के उपबंधों द्वारा किया जाना जारी रहेगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तदनुसार, गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों सहित गैर-अनुसूचित बैंक दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को अपनी मांग और मीयादी देयताओं के 3.0 प्रतिशत के बराबर का नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात बनाए रखने की प्रथा जारी रखेंगे।

मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च ऋण वृद्धि के आलोक में आस्तियों की गुणवत्ता बनाई रखी जाती है, व्यैक्तिक ऋण पूंजी बाज़ार को दिए जानेवाले ऋण आदि जोखिमों के रूप में गणना योग्य ऋण और अग्रिम, 20 लाख रुपये से अधिक के आवासीय गृह निर्माण ऋण, वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षा को 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत कर दिया गया है। अब तक की तरह, ये प्रावधान अनुमत सीमा तक पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन के लिए टियर II में सम्मिलित करने के लिए पात्र होंगे।

आपको यह ज्ञात होगा कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर समिति (अध्यक्ष : श्री एम.नरसिंहम) द्वारा सिफारिश की गई थी कि विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, बैंकों की मानक आस्तियों का लगभग एक प्रतिशत का सामान्य प्रावधान उचित होगा तथा इसे चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। तदनुसार, नवंबर 2005 में बैंकों द्वारा कृषि तथा लघु और मझौले उद्यम क्षेत्रों को दिए गये प्रत्यक्ष अग्रिमों को छोड़कर, मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को संविभाग आधार पर निधिक बकायों के 0.25 से बढ़ाकर 0.40 प्रतिशत कर दिया गया था।

वाणिज्यिक स्थावर संपदा /उद्यम पूंजी निधियों पर जोखिम भार

वाणिज्यिक स्थावर संपदा

वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए बैंकों के ऋण आदि जोखिम (एक्सपोज़र) पर जोखिम भार को पहले के स्तर 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया है।

उद्यम पूंजी निधियों

उद्यम पूंजी निधियों के लिए बैंक का कुल ऋण आदि जोखिम उसके पूंजी बाजार के ऋण आदि जोखिम का एक भाग होगा और अब से इन ऋण आदि जोखिमों को 150 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार नियत किया जाएगा।

किसानों को 7% ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है कि किसान 3 लाख रुपये के मूलधन की अधिकतम सीमा तक, 7 प्रतिशत की दर पर अल्पावधि ऋण प्राप्त करता है। तदनुसार, सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए गए 3 लाख रुपये के अल्पावधि उत्पादन ऋण की 2% वार्षिक ब्याज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आर्थिक सहायता की इस राशि की गणना संवितरित फसल ऋण की राशि पर संवितरण की तारीख/भुगतान की तारीख तक आहरण अथवा वह तारीख जिसके बाद बकाया ऋण अतिदेय हो जाता है, अर्थात् खरीफ के लिए 31 मार्च 2007 तथा रबी के लिए 30 जून 2007, जो भी पहले हो, के आधार पर की जाएगी। यह आर्थिक सहायता सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस शर्त पर उपलब्ध कराई जाएगी कि वे आधार स्तर पर अल्पावधि ऋण 7 प्रतिशत

वार्षिक की दर से उपलब्ध कराएँ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में, यह केवल उनकी अपनी निधि में से दिए गए अल्पावधि उत्पादन ऋण पर लागू होगा तथा इसमें नाबार्ड पुनर्वित्त द्वारा समर्थित ऐसे ऋण सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड पुनर्वित्त पर लागू ब्याज दरों के लिए नाबार्ड द्वारा एक अलग परिपत्र जारी किया जा रहा है।

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे खरीफ तथा रबी 2006-07 (अलग-अलग) के लिए किसानों को 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण का प्राक्कलन हमें तुरन्त भेजें ताकि हम आर्थिक सहायता की राशि का प्राक्कलन सरकार को भेज सकें।

बैंकों को निम्नानुसार यह भी सूचित किया गया कि :-

(i) वे 30 जून 2006, 30 सितंबर 2006, 31 दिसंबर 2006 और 31 मार्च 2007 की तिमाही के आधार पर अपने दावे संबंधित तिमाही के अन्त से एक माह के भीतर प्रस्तुत करें।

(ii) 31 मार्च 2007 को समाप्त तिमाही के दावे के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए कि आर्थिक सहायता के दावे सत्य और सही हैं और

(iii) दावे प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 को प्रस्तुत करें।

नवोन्मेष टियर I/टियर II बांड - बैंकों द्वारा बचाव-व्यवस्था (हेजिंग)

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने नवोन्मेषी टियर I/टियर II बांडों के संबंध में ऐसे अदला-बदली लेनदेनों में शामिल न हों। बैंक जो पहले से ही ऐसी अदला-बदली में शामिल हो गये है, को सूचित किया गया है कि वे ऐसे अदला-बदली लेनदेनों के परिणामस्वरूप होनेवाले लाभों/हानियों के लेखांकन के लिए निम्नांकित क्रियाविधि अपनाएं:

(i) ऐसे अदला-बदली लेनदेनों से उपजे लाभों/हानियों को अलग से संगणित किया जाए;

(ii) यदि कोई हानियां हो तो, उनका पूर्णत: प्रावधान किया जाए;

(iii) लाभों को लाभ-हानि खाते के माध्यम से एक विशेष रिज़र्व में ले जाया जाए;

(iv) ऐसे रिज़र्व में से आहरण सिर्फ संबंधित अदला-बदली लेनदेन में भविष्य में होनेवाली हानियों को पूरा करने के लिए किया जाए।

बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि टियर I/टियर II बांडों के संबंध में उनके द्वारा पहले से किए गए अदला-बदली लेनदेनों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उनका नवीनीकरण न करें।

बैंकों को राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) का पालन करने को कहा गया

देश भर में भवन निर्माण की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एक व्यापक भवन निर्माण कोड अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) 2005 तैयार किया है। इस कोड में सुरक्षित और व्यवस्थित भवन निर्माण तथा विकास से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, जैसे - प्रशासनिक विनियम, विकास नियंत्रण नियम और भवन की सामान्य अपेक्षाएं; आग से सुरक्षा की अपेक्षाएं; सामग्री, ढांचे की डिज़ाइन और भवन निर्माण (सुरक्षा सहित) के संबंध में शर्तें तथा भवन निर्माण और प्लंबिंग सेवाएं।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों के बोर्ड को अपनी ऋण नीतियों में इस पहलू को शामिल करने के लिए सूचित किया है। एनबीसी के बारे में अधिक जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट (www.bis.org.in) से प्राप्त की जा सकती है।

रिपो/प्रत्यवर्तनीय रिपो दर में वृद्धि

वर्तमान समष्टि और समग्र मौद्रिक स्थितियों की समीक्षा करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एल ए एफ) के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.50 प्रतिशत से 5.75 प्रतिशत, 25 आधार बिंदू से बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इसी प्रकार, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर जो कि 100 आधार बिंदू के स्प्रेड से प्रत्यावर्तनीय रिपो दर से जुड़ी है, को भी तत्काल प्रभाव से 6.50 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत, 25 आधार बिंदू से बढ़ाया गया है।

बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि समायोजन सुविधाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों (पुनर्वित्त के लिए पात्र निर्यात ऋण) और प्राथमिक व्यापारियों (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं 9 जून 2006 से रिपो दर अर्थात् 6.75 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध होंगी।

विदेशी मुद्रा व्यापारियों की नियुक्ति/तैनाती

सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि अब राजकोष/अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के प्रधान/मुख्य व्यापारी/व्यापारी की नियुक्ति करने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बैंक उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई करते समय उचित सावधानी और सतर्कता बरतना सुनिश्चित करें। ऐसी नियुक्तियां करने से पहले बैंकों के बोर्ड को नियुक्त किये जानेवाले व्यक्तियों की विश्वसनीयता से पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति करने से पहले आवेदकों के *योग्य एवं उचित* स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त उचित सतर्कता प्रक्रिया को लागू करें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार बनाना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार और आसान बनाने को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित प्राधिकृत समितियाँ (ईसी) शाखाएँ खोलने, स्थान परिवर्तन करने अथवा विलयन हेतु आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श करके अपनी सिफारिश देंगी। रिज़र्व बैंक इन प्राधिकृत समितियों की सिफारिश के आधार पर ऐसे आवेदन पत्रों का निपटान करेगा। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब से शाखाएं खोलने, स्थान परिवर्तन करने अथवा विलयन हेतु अपने आवेदनपत्र नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजते हुए उसकी अग्रिम प्रति रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजनी चाहिए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस संबंध में प्रायोजक बैंक से अलग से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, शाखाएँ खोलने के लिए भी ज़िला सलाहकार समिति (डीसीसी) के उप-समूह से अनुमोदन की आवश्यकता भी नहीं है। तथापि, शाखाओं के स्थानपरिवर्तन / विलयन के लिए डीसीसी के उप-समूह से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से चालू खाते लेनदेनों के लिए सीमित प्राधिकृत व्यापारियों के रुप में विदेशी मुद्रा कारोबार करने के अनुरोधों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत समिति की मंजूरी के बाद विचार किया जाएगा। अत: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऐसे प्रस्ताव रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

ग्राहक सेवा

नामांकन सुविधा

बैंक में जमाराशि का दावा करने में मृत जमाकर्ता के कानूनी वारिस को हो रही मुसीबतों को आसान करने और खर्चें को कम करने को ध्यान में रखते हुए बैंक के जमाकर्ताओं को नामांकन सुविधा लागू करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में धारा 45 जेड ए जोड़ा गया था ताकि बैंकों को:

(क) जमाकर्ता के खाते में जमा की राशि को मृत जमाकर्ता के नामिती को भुगतान करने में सुविधा हो सके।

(ख) मृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी शेष वस्तुओं की सूची तैयार करने के बाद उनके नामिती को वस्तुएं वापस लौटाने में सुविधा हो सके।

(ग) सुरक्षित जमा लॉकर के किरायेदार की मृत्यु हो जाने पर उस लॉकर में रखी गयी सामग्री की सूची तैयार करने के बाद उस सामग्री को नामिती को लौटाने में सुविधा हो सके।

बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश

नामांकन एक नियम होना चाहिए (ना कि अपवाद) और बैंकों को सभी खातों को, वर्तमान तथा नये दोनों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। नामांकन के अंतर्गत केवल उन ग्राहकों को छूट होनी चाहिए जो स्वयं किसी को नामित नहीं करना चाहते है। इस तथ्य को दर्ज किया जाना चाहिए और ना कि उसे गैर-अनुपालन के रूप में छोड़ देना चाहिए।

बैंकों को खाता खोलने के फॉर्म में नामिती का नाम और पता के लिए जगह छोड़ने के लिए फॉर्म को संशोधित करने के लिए सूचित किया गया है। बैंकों को अपने ग्राहकों से सांविधिक रूप से निर्धारित नामांकन फॉर्म प्राप्त करने चाहिए और उसे खाता खोलने के फॉर्म के साथ सुरक्षित रखना चाहिए। नामांकन सुविधा की उपलब्धता के बारे में चेक बुक/पास बुक और ग्राहकों तक पहुंच रही अन्य कोई साहित्य पर अनुकूल संदेश प्रकाशित करके व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

बैंक की बहियों में पंजीकरण

बैंकों को अपनी बहियों में नामांकन, निरसन और/अथवा जमाकर्ताओं/लॉकर के वारिसों द्वारा किये गये नामांकन में परिवर्तन को दर्ज करना चाहिए।

पास बुक/जमा रसीद में प्रविष्टि

बैंकों को प्रत्येक पास बुक अथवा जमा रसीद पर संकेत वाक्य *नामांकन पंजीकृत* लिखना चाहिए ताकि संगे-संबंधियों को यह पता चल सके कि मृत जमाकर्ता ने नामांकन सुविधा प्राप्त की थी।

सुरक्षित अभिरक्षा / सुरक्षित जमा लॉकरों में वस्तुएं

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जमा की राशि, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी वस्तुएं और सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री को असली नामिती को लौटायी जाती है तथा मृत्यु के सबूत को सत्यापित करने के लिए बैंको को स्वयं अपने दावे का फार्मेट तैयार करना चाहिए अथवा आइबीए द्वारा सुझायी गयी प्रक्रिया, यदि है, तो उसे अपनानी चाहिए।

ग्राहकों को उपलब्ध नामांकन सुविधा की कुछ विशेषताएं निम्नानुसार है:

- नामांकन सुविधा सभी प्रकार के जमा खातों जैसे - बचत बैंक खातों, चालू खातों, नकदी प्रमाणपत्रों आदि के लिए उपलब्ध है चाहे बैंकों की नामावली पद्धति अलग-अलग हो।
- नामांकन सुविधाएं ना केवल जमा खातों के लिए उपलब्ध होती है किंतु यह सुविधा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी वस्तुओं और सुरक्षित जमा लॉकरों के लिए भी है।
- नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है।
- संयुक्त जमा खाता के संबंध में केवल एक व्यक्ति के पक्ष में नामांकन की अनुमति है।
- संयुक्त जमाराशियों के संबंध में एक जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर बैंकों द्वारा सभी उत्तरजीवी जमाकर्ताओं को संयुक्त रूप से वर्तमान नामांकन में परिवर्तन/निरसन की अनुमति दी जा सकती है। यह उन जमाराशियों के लिए भी लागू होगा जिसे *दोनों में से किसी एक अथवा उत्तरजीवी* के परिचालन अनुदेश है। संयुक्त जमा खाता के संबंध में सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद ही नामिती का अधिकार जागृत होता है।
- जहां नामिती अवयस्क है, वहां नामांकन करते समय जमाकर्ता, सभी जमाकर्ताओं द्वारा साथ में किसी अन्य व्यक्ति को जो अवयस्क नहीं है, को नियुक्त करना चाहिए ताकि नामिती की अवयस्कता के दौरान जमाकर्ता, सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु पर नामिती की ओर से जमा की राशि प्राप्त कर सके।
- अवयस्क के नाम पर की गयी जमाराशि के मामले में नामांकन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो कानूनी तौर पर अवयस्क की ओर से कार्य करने के लिए पात्र हो।
- नामांकन एकल व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो बैंकिंग कंपनी से लॉकर का एकमेव किरायेदार है।
- नामांकन सुविधा केवल एकल जमाकर्ता के मामले में उपलब्ध है और यह व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षित अभिरक्षा में जमा की गयी वस्तुओं के लिए नहीं है।
- अवयस्क के नाम पर किराए पर लिए गए लॉकर के मामले में नामांकन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो कानूनी तौर पर अवयस्क की ओर से कार्य करने के लिए पात्र हो।
- अवयस्क को किराये के लॉकर में सामग्री रखने/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नामिती के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।तथापि, ऐसे मामले में, बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब अवयस्क नामिती की ओर से लॉकर से सामग्री निकाली जाती है तब अवयस्क की ओर से वस्तुएं प्राप्त करने के लिए कानूनी तौर पर प्राधिकृत व्यक्ति को ही वस्तुएं सौपनी चाहिए।
- नामांकन, निरसन/नामांकन में परिवर्तन लॉकर की किराया अवधि के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है।
- बैंकों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये अथवा लॉकर में पाये गये मुहरबंद/बंद पैकेटों को लौटाते समय नहीं खोलना चाहिए।
- संयुक्त किराया लॉकरों के लिए संयुक्त किरायेदारों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर लॉकर की सामग्री को निर्धारित प्रकार से सूची तैयार करने के बाद केवल नामितियों और उत्तरजीविओं द्वारा संयुक्त रूप से ही निकालने की अनुमति है। ऐसे लॉकर से सामग्री निकालने के बाद नामिती और उत्तरजीवी किरायेदार यदि इच्छुक है तो लॉकर किराया का नया कॉन्ट्रैक्ट करके उसी बैंक में संपूर्ण सामग्री रख सकते हैं।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस लि.,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**